(25)

**न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, ~~सर्किट कोर्ट रीवा~~ (म0प्र0)**

रेस्टोरेशन प्र०क्र०   116 अनूपपुर

रेस्टो - 9049 - III - 16

चन्द्रिका प्रसाद ब्राम्हण उम्र 59 वर्ष आत्मज जगदीश प्रसाद ब्राम्हण निवासी सकोला थाना चचाई, तहसील अनूपपुर, जिला–अनूपपुर (म0प्र0) ................................ निगरानीकर्ता

***बनाम***

श्रीमती माया देवी पुत्री विन्धेश्वरी प्रसाद पत्नी रामदुलारे ब्राम्हण निवासी ग्राम पचौहा तहसील व थाना जैतहरी जिला–अनूपपुर (म0प्र0) ............................ उत्तरवादीगण

श्री ... सिंह ... अधि० द्वारा आज दि. 12-4-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12/4/16 राजस्व मण्डल ...

**आवेदन पत्र वास्ते पुर्नस्थापित किये जाने राजस्व प्रकरण चन्द्रिका प्रसाद बनाम माया देवी तथा अदम पैरवी मे किये गये आदेश दिनांक 12.02.2016 को निरस्त करते हुये प्रकरण में विधि सम्यक सुनवाई किये जाने बावत।** एवं निगरानी 1607/II/14 को पुनर्स्थापित करने बाबद
**आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म.प्र.भू.रा.सं.**

Allow u/s 35(3) ... 12-4-16

मान्यवर,

आवेदक निम्न निवेदन करता है–

1. यह कि उक्त उन्मान का प्रकरण माननीय न्यायालय में दिनांक 12.02.2016 को सुनवाई हेतु नियत था आवेदक की ओर से प्रकरण में अधिवक्ता श्री के.पी. सिंह व श्री अंजनी सोनी उपस्थित होते रहे है, किन्तु आवेदक द्वारा एक अन्य अधिवक्ता श्री अग्निहोत्री को भी अपने प्रकरण में पैरवी करने के लिये नियुक्ति किया गया तथा आवेदक इस विश्वास में था कि उक्त अधिवक्तागण आवेदक के प्रकरण की पैरवी समुचित रूप से करेगे जिससे आवेदक को न्याय मिल सकेगा। एवं निगरानी 1607/II/14 मे पारित आदेश 12-2-16 को निरस्त कर पुनः स्थापित करें बाबद
2. यह कि श्री अग्निहोत्री अधिवक्ता को नियुक्त करने के बाद उनके द्वारा यह कहा गया कि तारीख पेशी में आवेदक को आने की आवश्यकता नही है तथा न्यायालय में जब जैसी आवश्यकता आवेदक के उपस्थित होने की होगी उसे सूचित कर दिया जायेगा और सूचना के बाद आवेदक न्यायालय में आकर उपस्थित रहे। पूर्व के अधिवक्ता श्री जी.पी. सिंह व श्री अंजनी सोनी द्वारा भी यही कहा गया था कि आवेदक को हर तारीख पेशी में बार–बार आने की आवश्यकता नही है क्योंकि आवेदक जहां से आता है वहां से रीवा की दूरी लगभग 300 कि.मी. है।
3. यह कि अधिवक्तागण के आश्वासन व विश्वास पर आवेदक दिनांक 12.02.2016 को माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हुआ जबकि उक्त दिनांक को सुबह आवेदक द्वारा श्री अग्निहोत्री

Rev. 9049-II/16 अनूपपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 02-5-16 | आवेदक अधि० श्री सुनील ओझा उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण R. 1607-II/14 पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाता है, यह प्रकरण समाप्त। (हस्ताक्षर) सदस्य | |